न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 20.05.2024

अपील संख्या 2024 / 45

उनवान

गीताबाई पुत्री छीतरलाल जी पत्नि श्री जगदीश जी, जाति मीणा, निवासी काचरी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– मनोज पुत्र श्री जगदीश जी, जाति मीणा, निवासी काचरी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

2– रीना मीणा पुत्री जगदीश जी, जाति मीणा, निवासी काचरी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पवन कुमार दाधीच अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 16.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 29 / 2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम काचरी, तहसील अन्ता में खाता सं. 26 में खसरा नं. 245 दक्षिणी रकबा 0.76 हेक्टर, खसरा नं. 251 रकबा 0.47 हेक्टर, खसरा नं. 286 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 295 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 363 रकबा 0.69 हेक्टर, खसरा नं. 366 रकबा 3.10 हेक्टर, खसरा नं. 377 रकबा 1.54 हेक्टर, खसरा नं. 621 / 245 उत्तरी रकबा 0.41 हेक्टर किता 8 रकबा 7.06 हेक्टर भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2021 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाईनल डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 का दावा धारा 53, 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दिनांक 15.02.2021 को पेश किया गया जिसकी तामील अपीलांटा को नहीं हुई व तलबी हेतु पेशी दिनांक 08.03.2021 नियत की गई किन्तु बिना रेस्पोडेंट

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादीगण की तामील हुए बिना ही दावा पेश करने के दूसरे दिन ही चुपचाप तरीके से राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादग्रस्त भूमि अपीलांटा को उसकी माता से प्राप्त हुई जो अपीलांट की स्वयं की अर्जित भूमि है तथा उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं है। इसके बावजूद भी अपीलांट के खाते की भूमि में राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री कर फाईनल डिक्री जारी करने में त्रुटि की है।

वास्तविकता यह है कि गीताबाई बनाम रामचरण का मुकदमा माननीय न्यायालय में चल रहा था। चूंकि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 प्रतिवादिनी नं. 1 का पुत्र है उसने अपीलांटा को उक्त मुकद्में में उसके बयान लेखबद्ध करवाने है, की कह कर अदालत में लेकर आया और बदनियती से उक्त वाद में राजीनामा पेश कर दिया तथा कागजात को पढ़ने भी नहीं दिया और उसके उक्त कागज पर दस्तख्त करा लिये और अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर प्रस्तुत प्रकरण में तलबी हुये बिना, व जवाबदावा पेश हुए बिना ही उक्त षड़यंत्र पूर्वक आलेखित कराये गये तथाकथित राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर फाईनल डिक्री जारी करने में त्रुटि की है। इस प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों की पालना किये बिना ही व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रारम्भिक डिक्री जारी न कर अंतिम डिक्री जारी कर दी इस कारण दावा वादीगण व निर्णय व फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी में कभी भी वादीगण का हक व हिस्सा व कब्जा नहीं रहा है इसके बावजूद भी विवादित भूमि को पुश्तैनी भूमि मानकर उसमें वादीगण रेस्पोडेंट का हिस्सा मान कर उनको खातेदार घोषित कर विभाजन की डिक्री पारित करने में कानूनी गंभीर भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2021 निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.05.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हमें धोखे में रखकर अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश करवाया। गीताबाई बनाम रामचरण का मुकदमा न्यायालय हाजा में चल रहा है। उसके बहाने से कोर्ट में बुलाकर राजीनामे पर हस्ताक्षर करा लिये। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 113 का विवाद दोनों ही अपीलों में है। इस अपील में खसरा नं. 113 को शामिल नहीं किया गया है। अतः अपील

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(2) पेज 1185 की नजीर उद्धरत की।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। अतः हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट माता एवं पुत्र पुत्री है। पुत्र पुत्री द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर राजीनामे के आधार पर 1/3 – 1/3 का खातेदार घोषित किया गया। अपीलांट का यह कथन कि उसे तामील नहीं हुई, सत्य प्रकट नहीं होता क्योंकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स के साथ राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। पक्षकार के स्वयं हाजिर अदालत आने पर तलबी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

अपीलांट द्वारा उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी होने का कथन राजीनामे में किया है जिससे वह बाध्य है।

अपीलांट द्वारा राजीनामा धोखाधड़ी से कराने का तथ्य सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि अपीलांट द्वारा धोखाधड़ी या फर्जीवाडे बाबत कोई एफ.आई.आर. या शिकायत दर्ज नहीं करायी गई। अपीलांट यहां विबंध के सिद्धांत (Principle of estoppel) से बाध्य है अर्थात् अपीलांट स्वयं के राजीनामे से बाध्य होने से अपील खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पक्षकारान के राजीनामे के आधार पर किये जाने से विधि सम्मत तथा उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/07/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

गीताबाई पुत्री छीतरलाल जी पत्नि श्री जगदीश जी, जाति मीणा, निवासी काचरी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

अपीलांट्स

बनाम

1– मनोज पुत्र श्री जगदीश जी, जाति मीणा, निवासी काचरी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

2– रीना मीणा पुत्री जगदीश जी, जाति मीणा, निवासी काचरी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां

रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2024/45**
मु.द.नं0 **29/2021**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अन्ता**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **16.02.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 06** सन् **2024**

श्री **पवन-कुमार दाधीच** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2021 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16 माह 07 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)